म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण,
रेरा भवन,लिंक रोड नंबर 01, अरेरा हिल्स भोपाल

कमांक: 29/रेरा/2020 **दिनांक 01 फरवरी 2020**

विज्ञप्ति

रेरा प्राधिकरण में भू–संपदा परियोजनाओं के निरीक्षण एवं जॉच के लिये विशेषज्ञ सलाहकारों का संसूचीकरण हेतु शासकीय विभागों से कार्यपालन यंत्री या उच्च पद से सेवानिवृत्त अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत विवरण प्राधिकरण की वेबसाईट www.rera.mp.gov.in पर देखा जा सकता है। आवेदन ई–मेल आई.डी. secretaryrera@mp.gov.in पर या डाक द्वारा / स्वयं दिनांक 25.02.2020 तक भेजें जा सकते है।

सचिव

म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण,
रेरा भवन,लिंक रोड नंबर 01, अरेरा हिल्स भोपाल

कमांक: 28/रेरा/विज्ञापन/2020 **दिनांक 01 फरवरी 2020**

विज्ञप्ति

म.प्र. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत भू–सम्पदा परियोजनाओं के निरीक्षण, सम्प्रवर्तक, आंवटिती, भू–सम्पदा अभिकर्ता से सम्बधित जाँच आदि कार्य के लिये विशेषज्ञ सलाहकारों का संसुचीकरण (Empanelment) के लिये शासकीय विभागों से सेवा निवृत कार्यपालन यंत्री या उसके समकक्ष या उसे उच्च श्रेणी के पद से सेवा निवृत उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन की शर्तें :–

1.कार्यपालन यंत्री के समकक्ष या उच्च श्रेणी के पद से सेवानिवृत शासकीय सेवक जिन्हें वास्तुविद/इंजीनियर/नगर नियोजक के रूप में निर्माण कार्य का 15 वर्ष का अनुभव हो।

2.न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता सिविल इंजीनियर/वास्तुविद/नगर नियोजन में ग्रेजूएट अथवा समकक्ष होना अपेक्षित है।

3.विशेषज्ञ सलाहकार को निरीक्षण या जाँच करने के लिये सभी प्रासंगिक व्यय जैसे स्टेशनरी, टंकण आदि सम्मिलत कर फीस रू. 5000/– प्रति कार्य दिवस देय होगी।

4.विशेषज्ञ सलाहकार के द्वारा निरीक्षण किये जाने के सात दिवस के अन्दर निरीक्षण के निर्धारित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

5.मुख्यालय से बाहर यात्रा के लिये निम्नानुसार यात्रा व्यय देय होगा :–

(अ) ट्रेन से जुड़े स्थानों के लिये ए.सी द्वितीय श्रेणी (AC 2nd) का किराया।

(ब) बस से यात्रा के लिये बस की उच्च श्रेणी।

(स) अन्य स्थानों के लिये न्यूनतम दूरी के मार्ग से स्वयं के वाहन/किराये के वाहन के लिए रू. 8 प्रति कि.मी.।

सलंगन आवेदन प्रारूप में आवेदन, ई–मेल आई.डी secretaryrera@mp.gov.in पर या डाक द्वारा या स्वयं दिनाँक 25/02/2020 तक भेजे जा सकते है।

सचिव